कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा (छ.ग.)
(दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)

ई–मेलः cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक/2547/श.वि.अ./ एसयूएच / कोरबा, दिनांक 29 /04/2022

// रूचि की अभिव्यक्ति सूचना //

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Shelter for Urban Homeless) योजना अंतर्गत मिनीमाता शासकीय कन्या महाविद्यालय के पीछे स्थित शहरी बेघरों के लिए सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल संचालन हेतु संस्था का चयन किया जाना है ।

आश्रय स्थल (SUH) संचालन हेतु निकाय में गठित पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) से दिनांक 15/05/2022 शाम 04:00 तक आर.एफ.पी./ई.ओ.आई.स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । ई.ओ.आई. खोलने की तिथि 18/5/2022 समय शाम 4:00 बजे है । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा । शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल संचालन हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं नियम शर्तेः–

1. आश्रय स्थल संचालन के लिए आर.एफ.पी. के साथ 10,000.00 रूपये अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से सिटी प्रोजेक्ट आफिसर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम से जमा करना होगा ।
2. आफरदाता को लिफाफा "अ" में अमानत राशि का एफ.डी.आर. लिफाफा "ब" पंजीयन प्रमाण पत्र (नोटरी/स्वयं द्वारा) सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
3. लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा । एवं पोस्टल पता सहित बड़े लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा सिटी प्रोजेक्ट आफिसर दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिक निगम कोरबा छ0ग0 को प्रस्तुत करना होगा ।
4. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी ।
5. सफल आफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा । जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा समय सीमा में अनुबंध नही किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी ।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सिटी प्रोजेक्ट आफिसर दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिक निगम,कोरबा छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
7. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार सिटी प्रोजेक्टर आफिसर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कोरबा छ0ग0 सुरक्षित रखेगा ।

8. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नही करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दी जावेगी एवं दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
9. प्रत्येक आश्रय के दैनिक देखभाल, रखरखाव, सफाई और शरण में अनुशासन के लिए निम्नलिखित न्यूनतम पूर्णकालिक कर्मचारी होगा
    1. एक पूर्ण समय प्रबंधक
    2. 03 देखरेख करने वाले देखरेख करने वाले 8–8 घण्टे के एक शिफ्ट के लिए ।
    3. जिनमे से महिला रहवासियों के लिए कम से कम एक महिला संभालने वाली होगी।

10. 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नही रखे जावेगें ।
11. अनुबंधित संस्था द्वारा इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यो में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी ।
12. विभाग की अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित संस्था द्वारा उपलब्धता कराया गया कर्मचारी कार्य सही ढंग से नहीं करता है,उन्माद करता है अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरूद्व है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत चौबीस घंटे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित संस्था बाध्य होगी ।
13. अनुबंधित क्षेत्र स्तरीय संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से निगम का कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित संस्था के भुगतान किये जाने वाले देयकों से कटौती कर की जावेगी ।
14. छ0ग0 शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों/संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुघर्टना बीमा आदि की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी किसी प्रकार की शिकायत आदि का निराकरण करने की जवाबदारी निविदादाता/अनुबंधित संस्था की होगी ।
15. कार्य के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी ।
16. संस्था को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा ।
17. कार्य के देयकों का भुगतान उपलब्ध बजट के अनुसार किया जावेगा । भुगतान में समय की बाध्यता नही होगी एवं विलंब के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
18. उपरोक्त कार्य के संचालन संधारण में विद्युत एवं अन्य कार्य संबंधी प्राकृतिक आपदा,चोरी,तोड़फोड़ एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसानों का संधारण संबंधित संस्था को स्वयं के व्यय पर करना होगा ।

19. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों को दुर्घटना के बचाव से समस्त प्रकार के उपकरण/सामग्री उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा । जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी ।
20. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी ।
21. आर.एफ.पी./ई.ओ.आई.खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाले लिफाफा खोला जावेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने उपरांत ही मूल आर.एफ.पी.आवेदन जमा वाला लिफाफा खोला जावेगा । निर्धारित अमानत राशि जमा नही पाये जाने पर मूल आर.एफ.पी आवेदन जमा वाला लिफाफा नही खोला जावेगा तथा संबंधित आवेदनकर्ता का जमा/प्राप्त आर.एफ.पी निरस्त माना जावेगा ।
22. आवेदक क्षेत्र स्तरीय संघ दो वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
23. आवेदक क्षेत्र स्तरीय संघ का रजिस्टर,अभिलेख नियमित रूप से संधारित होना चाहिए।
24. आवेदक क्षेत्र स्तरीय संघ का बैंकों में लेन देन नियमित रूप से होना चाहिए ।
25. आवेदक क्षेत्र स्तरीय संघ का किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा नही होना चाहिए ।
26. क्षेत्र स्तरीय संघ का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष तक रहेगा,कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा ।
27. नगर पालिक निगम,कोरबा के द्वारा निर्मित आश्रय स्थल की भवन में आवश्यक साजो–सामान की उचित व्यवस्था कर संचालन हेतु हस्तांतरित करेगा ।
28. इस कार्य से संबंधित अनुभव रखने वाले ए.एल.एफ. को वरीयता दी जावेगी ।
29. आर.एफ.पी./ई.ओ.आई.की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार सिटी परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कोरबा के सुरक्षित होगा ।
30. आर.एफ.पी./ई.ओ.आई. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
31. आश्रय स्थल में पुलिस,स्वास्थ्य विभाग,अग्निशमन विभाग एवं अन्य आपातकालीन सेवा से संबंधित विभागों के दूरभाष का विवरण दर्ज किया जावे ।
32. आश्रय स्थल में ठहरने वाले शहरी बेघरों,प्रशिक्षणार्थी छात्र, निर्माण कार्य में संलग्न बाहर से आए मजदूर वर्ग एवं उनके परिवार का संपूर्ण विवरण पंजी में संधारित की जावे, साथ ही एक प्रति संबंधित थाना में जमा कराना होगा ।
33. संचालित आश्रय स्थल का सदुपयोग होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में शहरी बेघर नही होने की स्थिति में आश्रय स्थल में प्रशिक्षाणार्थी छात्र,निर्माण कार्य में संलग्न बाहर से आये मजदूर वर्ग एवं इनके परिवार को सिटी परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क पर आश्रय की सुविधा प्रदान की जानी होगी ।
34. आवेदन स्पीड/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 15/05/2022 शाम 4:00 बजे तक सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई,जिला शहरी विकास अभिकरण,कोरबा कार्यालय प्रथम तल,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,कोरबा के पते में जमा करना अनिवार्य है । अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगा ।
35. विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in में देखी जा सकती है ।

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,
राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन,
नगर पालिक निगम,कोरबा (छ0ग0)